तहसीलदार चितलवाना

[illegible] पुत्र राजूसिंह
[illegible] पुत्र राजूसिंह
[illegible] जोधे अमरसिंह
[illegible] राजपूत निवासी
[illegible] सोलंकियान तह–
[illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,128 आर.एल.आर. एक्ट

[illegible] – 6/17

[illegible]
[illegible] एवं प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पुरोहित।
[illegible] राज्य सरकार की ओर से नायब तहसीलदार चितलवाना राजपैरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.6.17

[illegible] दिनांक [illegible].2017 को प्रार्थीगण ने इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 आर.एल.आर एक्ट का न्यायालय के समक्ष पेश किया कि ग्राम शिवपुरा [illegible] हल्का होतीनांव में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि खेत खाता [illegible] 3, खसरा नंम्बर 61 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.40 हैक्टर, [illegible] नम्बर 64/1087 रकबा 3.90 हैक्टर जुमले रकबा 7.50 हैक्टर एवं खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर 64 रकबा 5.54 हैक्टर, खसरा नंम्बर 1087/1091 रकबा 0.13 हैक्टर [illegible] रकबा 5.67 हैक्टर एवं खाता संख्या 228 खसरा नंम्बर 65 रकबा 2.09 हैक्टर, [illegible] नम्बर 70/1094 रकबा 0.20 हैक्टर जुमले रकबा 2.29 हैक्टर की आयी हुयी [illegible] आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। तथा मौके पर हम [illegible] का कब्जा है। परन्तु हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पालडी सोलंकियान के निवासी [illegible] ऋतु में उक्त भूमि पर काश्त करते है। जिससे वहां के स्थानीय व्यक्ति [illegible] ओर की पुरानी माठों व बाड़ को तोड़कर सीमा चिन्ह नष्ट कर देते है तथा हमारे [illegible] में पशु चरा कर नुकसान पहुँचाते है। उक्त खेत के हमनें कई बार बाड की [illegible] किन्तु स्थाई सीमांकन के अभाव में उक्त सीमा बाबत् विवाद होते रहते है एवं [illegible] बाद दस्त आराजी ग्राम शिवपुरा के खेत खाता संख्या 3 खसरा नंम्बर 61 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 64/1087 रकबा 3.90 [illegible] जुमले रकबा 7.50 हैक्टर में मुझ प्रार्थी नगसिंह पुत्र राजू सिह का नाम गलत [illegible] नवसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज कर दिया जबकि विक्रय पत्र में तथा समस्त सरकारी [illegible] में मेरा नाम नगसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज है। अतः मेरा उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] करकर उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की विधिवत् पैमाईश, सीमांकन, [illegible] का आदेश फरमावें तथा नवसिंह के स्थान पर नगसिंह नाम दर्ज करने की [illegible] का भी आदेश फरमावें।

2. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट प्रकरण दर्ज कर मुकदमा [illegible] मुर्तिब किये एवं अप्रार्थी को नोटीस जारी किये गये।

3. यह है कि बाद तामिल अप्रार्थी राजस्थान सरकार की तरफ से तहसीलदार चितलवाना [illegible] दिनांक 10.06.2017 को जबाव प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] को स्वीकार किया एवं निवेदन किया कि अगर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकृत [illegible] को कोई आपत्ति नहीं है। जिस पर प्रार्थी अमरसिंह के उसी

[illegible] है कि दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] निवेदन किया जिसका राज पैरोकार ने भी समर्थन किया जिसके [illegible] दोनों पक्षों की बहस सुनी। तथा प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के [illegible] राजस्व रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन [illegible] पश्चात् मैं उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 111,128,136 आर.एल.आर एक्ट [illegible] उचित समझती हूँ। ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible]

आदेश

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम शिवपुरा [illegible] में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि खेत खाता [illegible] 3, खसरा नंम्बर 61 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.40 हैक्टर, [illegible] 64/1087 रकबा 3.90 हैक्टर जुमले रकबा 7.50 हैक्टर एवं खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर 64 रकबा 5.54 हैक्टर, खसरा नंम्बर 1087/1091 रकबा 0.13 हैक्टर [illegible] रकबा 5.67 हैक्टर एवं खाता संख्या 228 खसरा नंम्बर 65 रकबा 2.09 हैक्टर, [illegible] 70/1094 रकबा 0.20 हैक्टर जुमले रकबा 2.29 हैक्टर की तहसीलदार [illegible] विधिवत् पैमाईश कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी करें। तथा [illegible] 3, खसरा नंम्बर 61 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.40 [illegible] खसरा नम्बर 64/1087 रकबा 3.90 हैक्टर जुमले रकबा 7.50 हैक्टर में राजस्व [illegible] में दर्ज नगसिंह पुत्र राजूसिंह के स्थान पर नगसिंह पुत्र राजूसिंह का नाम दर्ज [illegible] दुरूस्ती करायें। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार चितलवाना को [illegible] एक तहरीर जारी की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 15.6.17 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

सहायक कलक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)